

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा0 उदय शंकर प्रसाद सिविल सर्जन कार्यालय, समस्तीपुर अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में चवर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:-

उक्त डा0 उदय शंकर प्रसाद, के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा0 उदय शंकर प्रसाद असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए डा0 आर0 के0 सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 होंगे।

डा0 उदय शंकर प्रसाद, को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*(Handwritten Signature)*  
23.6.18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 709(9)

/ स्वा0, पटना, दिनांक : 06/07/2018

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी डा0 आर0 के0 सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

*(Handwritten Signature)*  
23.6.18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 709(9)

/ स्वा0, पटना, दिनांक : 06/07/2018

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
23.6.18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 709(9)

/ स्वा0, पटना, दिनांक : 06/07/2018

प्रतिलिपि: डा0 उदय शंकर प्रसाद सिविल सर्जन कार्यालय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

## अनुबंध


1. नाम — डा० उदय शंकर प्रसाद ,
2. पदनाम — चिकित्सा पदाधिकारी,
3. पदस्थापन स्थान — सिविल सर्जन कार्यालय समस्तीपुर
4. वेतनमान — .....
5. सेवानिवृत्ति — .....

## आरोप

आप वर्ष 2003 से आज तक (इस आरोप पत्र तथा संकल्प के निर्गत की तिथि तक) अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किए जाने के उपरांत भी आपके द्वारा अबतक अपनी कर्तव्यस्थल पर योगदान नहीं किया गया है। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि पाँच वर्षों से अधिक है तथा आपके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्तगी का मामला बनता है।

आपका उपर्युक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, अनियमितता एवं आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

जिसके लिए आप दण्ड के भागी है।

  
(नागेन्द्र प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव

### साक्ष्य तालिका:-

1. प्रेस विज्ञप्ति संबंधी प्रेस कतरन।
2. निम्न पत्रों के प्रतिलिपि के  
पत्रांक 1559 दिनांक 11-4-03
3. सिविल सर्जन कार्यालय के पत्रांक  
1270 दिनांक 15-1575/2003
4. संकल्प सं 1299(9) दिनांक  
4/11/10